न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 204 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 1994 / 00001

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रावताराम दत्तक पुत्र भगवाना उर्फ मगना, जाति–जाट, साकिन मीरपुरा, तहसील–सांचौर		मुस्म्मात–हीरा बेवा भगवाना उर्फ मगना मुस्म्मात–केशी बेवा भगवाना उर्फ मगना जाति–जाट, साकिन–मीरपुरा मुस्म्मात–लक्ष्मी पुत्री भगवाना उर्फ मगना, पत्नी गंगाराम वल्द राजाराम जाति–जाट, साकिन–गुन्दाउ 4 मृतवफी प्रेमाराम वल्द चौथा, जाति–जाट साकिन–मीरपुरा के कायम मुकाम व वारिसान् अ–लीला पुत्री प्रेमाराम ब–अणसी पुत्री प्रेमाराम स–चुनी पुत्री प्रेमाराम द–झमका पुत्री प्रेमाराम य–जमना पुत्री प्रेमाराम र–सुकी पुत्री प्रेमाराम ल–हनुमान पुत्र प्रेमाराम कौम–जाट, साकिनान्–मीरपुरा तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 5 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 10.10.1994

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 23.06.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी द्वारा मृतक चौथा का सजरा प्रस्तुत किया, तथा वाद में उल्लेखित किया कि वादी का दत्तक पिता भगवाना उर्फ मगना दिनांक 02.09.1990 को मौत हो चुकी है। मृतक भगवाना उर्फ मगना ने प्रथम शादी प्रतिवादी संख्या 1 हीरा के साथ संवत् 2012 में की थी। इस विवाह से उसके कोई संतान नहीं हुई, तथा भगवाना उर्फ मगना ने हीरा के जीवित रहते उसे बिना तलाक दिये दुसरी शादी 1971 में प्रतिवादी संख्या 2 केसी के साथ विवाह किया जिससे उसके प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मी हुई। मृतक भगवाना उर्फ मगना ने उसकी मृत्यु के करीब 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टटेक) सांचौर

माह पूर्व दिनांक 09.05.1990 को धार्मिक अनुष्ठान करके गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं तत्कालीन सरपंच की उपस्थिति में वादी के जन्म दाता पिता की व माता की सहमति से उसे गोद पुत्र लिया तथा गोद की रस्म अदा की तथा उपस्थित लोगों की मौजूदगी में एक बही में लिखत तकमील किया। भगवाना और उसके बड़े भाई प्रेमा की मुश्तरका खातेदारी कृषि भूमि विगत सेटलमेंट के अनुसार खसरा संख्या 143 रकबा 100 बीघा 09 बिस्वा मौजा मीरपुरा में स्थित है। भगवाना उर्फ मगना के फौत होने पर उसकी उक्त भूमि का खातेदारी म्यूटेशन अकेले उसकी विधवा पत्नियों हीरा व केशी के हक में कर दिया है हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार स्व. भगवाना उर्फ मगना का अपनी प्रथम विवाहिता पत्नी हीरा के जीते जी केसी के साथ 1971 में दूसरा विवाह कानूनन सम्मत नहीं होने से वोईड था इस विवाह से उसके जो पुत्री लक्ष्मी हुई वह भी अवैध संतान है ऐसी स्थिति में स्व. भगवाना की उपरोक्त संपति पर प्रतिवादी संख्या 2 केशी व प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मी को उतराधिकार के हक प्राप्त नहीं हो सकते है। स्व. भगवाना की उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 100 बीघा 9 बिस्वा जिसमें 1/2 हिस्से की खातेदारी भगवाना के बड़े भाई प्रतिवादी संख्या 4 प्रेमाराम के नाम की शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी भगवाना के नाम की है बाद वफात भगवाना के उक्त 1/2 हिस्से का म्यूटेशन केवल उसकी दोनों बेवाओं हीरा व केशी के हक में ही किया गया है जो गलत है। वादी भगवाना का दतक पुत्र होने से वादी को भी स्व. भगवाना की उक्त संपति पर अधिकार प्राप्त होते है प्रतिवादी संख्या 2 केशी जिसका पुनः विवाह ही वादी के पिता भगवाना के साथ हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के मेनडेन्टरी प्रोविजन्स के विरूद्व होने से वोईड है तथा उसमें उत्पन्न संतान लक्ष्मी भी अवैध संतान है जिसमें केशी व लक्ष्मी को स्व. भगवाना की संपति में हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। प्रतिवादी संख्या 2 केशी वादी के स्व. दतक पिता भगवाना उर्फ मगना की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 100 बिघा 09 बिस्वा में 1/2 हिस्सा जिसके रिसेटलमेंट में नवीन खसरा संख्या 301 से 303 व 343 से 346 रकबा 16.26 हैक्टेयर सृजित किये गये है उसे अपने हक में अंकित करवाये गये अवैध म्यूटेशन के आधार पर अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की खुली धमकी दे रही है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 प्रतिवादी संख्या 2 को इस नाजायज काम में सहयोग दे रहे है व स्वयं ही उक्त भूमि खरीदनें की साजिश कर रहे है प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 वादी के [illegible] के दतक पुत्र होने के हक को चेलेन्ज कर रहे है तथा भगवाना की संपति को खुर्द बुर्द [illegible] व आपस में बंदर बांट करने का षडयंत्र कर रहे है ऐसी स्थिति में वादी स्व. [illegible] उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना व अपनी दतक माता हीरों के खातेदारी हक व हिस्सा [illegible]र घोषित करवाने का अधिकारी है साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। विवाद मिटाने के अभिप्राय से वादी ने उक्त कुल भूमि में अपना 1/4 हिस्सा भौतिक विभाजन कर जुदागाना वादी को देने का प्रतिवादीगण को प्रस्ताव किया किन्तु अस्वीकार कर दिया गया जिसमें वादी वादग्रस्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा भौतिक विभाजन करने का भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kur
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अधिकारी है। विनायवाद सर्वप्रथम दिनांक 09.05.1990 को पैदा हुआ जब स्व भगवाना उर्फ मगना ने वादी को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया उसी रोज गोदनामा का लिखत वादी के हक में तकमील किया तत्पश्चात विनायवाद दिनांक 02.09.1990 को पैदा हुआ जब वादी के दतक पिता भगवाना का देहान्त हुआ तदन्तर विनाथवाद तारीख 26.09.1990 को पैदा हुआ जबकि भगवाना की वादग्रस्त कृषि भूमि का म्यूटेशन वादी के हक में नही किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकृत कर दिया गया तत्पश्चात विनायवाद माह सितम्बर 1994 के पहले सप्ताह में पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर वादी के हक को चेलेन्ज किया तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी अंत में वादी ने इस्तदुआ चाही की मौजा मीरपुरा के पुराना खेत खसरा संख्या 143 रकबा 100 बीघा 09 बिस्वा से नवसृजित खेत खसरा संख्या 301 रकबा 3.89 हैक्टेयर, खसरा संख्या 302 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 343 रकबा 3.71 हैक्टेयर, खसरा संख्या 344 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 345 रकबा 2.13 हैक्टैयर, खसरा संख्या 346 रकबा 5.12 हैक्टेयर जुमले रकबा 16.26 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा वादी की खातेदारी का घोषित किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 हीरों का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 प्रेमा का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावें। स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावें कि वे वादी को उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर निर्बाध खातेदारी अधिकार उपभोग करने में न तो स्वयं दखल करें व न किसी अन्य से करावें तथा अविभाजित भूमि का किसी के पक्ष में हस्तांतरण नहीं करे व कुल भूमि की अच्छे बुरे किस्म की अनुपात से मौके पर बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भौतिक विभाजन कर वादी को उसके 1/4 हिस्से का एक्सक्ल्यूसिव कब्जा दिलवाया जावें। संबंधित भू–अभिलेख में उपरोक्त घोषणा एवं विभाजन के अनुसार वादी के 1/4 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज जुदागाना करने का आदेश तहसीलदार सांचौर को सादिर फरमावें।

वादी द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश होने पर वाद दिनांक 10.10.1994 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण हीरा, लक्ष्मी, सजनी, प्रेमा व केशी ने जवाब दावा पेश कर वाद का प्रतिरोध कर अपने जवाब दावे में बताया कि वादी को भगवाना व हीरा ने कभी गोद नहीं लिया गया है तथा केशी का भगवाना के साथ नाता विवाह किया जो बिल्कुल ही कानून के अनुसार सही है तथा लक्ष्मी भगवाना की संतान होने से उक्त आराजी में उतराधिकारी हक प्राप्त है केशी भगवाना की वैधानिक पत्नी है वादी स्व. भगवाना का दत्तक पुत्र हो इस संबंध में प्रकार का कोई दस्तावेज गोदनामा भगवाना ने पंजियन नहीं करवाया है न ही सरपंच की उपस्थिति में उसे गोद लिया है अगर गोदनामें का ऐसा कोई लिखित वादी के पास है तो वह सरासर झूठा व फर्जी है तथा उसकी जानकारी हम प्रतिवादीगण को नहीं है न ही उस लिखत पर भगवाना के हस्ताक्षर है उक्त लिखित धोखाधड़ी करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया है हमारे हक में खोला गया नामांतरकरण सही व कानूनी है न ही वादग्रस्त आराजी पर वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

कब्जा है वादी के पास कोई रजिस्ट्रर्ड गोदनामा नही है मौजा मीरपुरा में अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 07.09.1994 को जरिये बेचान प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 को बेचान कर दिया है जिसका म्यूटेशन संख्या 64 स्वीकृत हो गया है वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त संपूर्ण भूमि के 1/4 हिस्से की खातेदारी केशी के नाम की प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के नाम दर्ज हो गई है तथा कब्जा भी प्रतिवादी संख्या 3, ,4, 5 का है केशी का पुर्नविवाह न होकर भगवाना ने केशी के साथ नाता विवाह किया था तथा नाता विवाह कानून सम्मत है इस प्रकार वादी को उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और न ही बंटवाड़ा करवाने का अधिकार है।

वादी भगवाना के साथ कभी नहीं रहा है वादी का परिवार के राशन कार्ड इत्यादि में कोई गोदपुत्र के रूप में नाम दर्ज नहीं है इस प्रकार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब दावें का प्रतिरोध करते हुए अपनी और से जवाब उल जवाब पेश कर जवाब दावा का खंडन करते हुए अपने जवाब उल जवाब में निवेदन किया कि भगवाना द्वारा हीरा के जीवित काल में उसे तलाक दिये बिना दूसरा विवाह केशी के साथ करने से हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधान में सर्वधा प्रतिकुल होने से शून्य है ऐसे विवाह को कानून मान्यता नहीं देता है ऐसी सूरत में जवाब दावा में अंकित अगली पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह कानून सम्मत नहीं हो सकता है व ऐसे अवैध विवाह से उत्पन्न संतान लक्ष्मी को भी स्व. भगवाना की संपति में हिन्दू उताराधिकारी अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा भारत में प्रचलित किसी कानून के अनुसार गोदनामा पंजियन करवाने का मेन्डेटरी प्रावधान नहीं है उक्त गौदनामा गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू व तत्कालीन सरपंच के रूबरू सारे हिन्दू रीती रिवाज सम्पन्न कर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर वादी को गोद लिया जाकर बही में गोदनामा का लिखत तकमील किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के हक में नामान्तरकरण संख्या 64 जो स्वीकृत किया गया है जो न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1994 की अवज्ञा करते हुए किया गया है जो अवैध है वादी जलदाय विभाग में राजकीय सेवा में होने से वादी का राशन कार्ड सेवा स्थल पर बना हुआ है तथा वादी की वल्दीयत राशन कार्ड व मतदाता सूची में गौदनामा के बाद भगवाना लिखी हुइ है।

प्रकरण में वादी की और से गवाह वादी [illegible] वीरमाराम परबतसिंह, विडदीचन्द के बयान कलमबद्व किये जाकर वादी की और से पेश दस्तावेजात् गोदनामा प्रदर्श–पी1, प्रदर्श–पी1 ए जमाबंदी, प्रदर्श–पी3 नामान्तरकरण, प्रदर्श–पी4 शपथ पत्र, प्रदर्श–पी2 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–पी 5 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये गवाह वादी रावता ने अपने ब्यानों में बताया की मेरे दादा का नाम चौथाराम है, चौथाराम के 2 बेटे प्रेमाराम व भगवानाराम है भगवाना फौत हो चुके है भगवाना ने हीरा से शादी की थी हीरा के

Signature Not Verifie
Digitally signed by Pramo
Date: 2025.09.09 18:36:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

कोई संतान नहीं होने से भगवाना ने उसे तलाक दिये बिना केशी को औरत बनाकर लाया, केशी के लक्ष्मी एक संतान है 1990 में मुझे गोद लिया था भगवाना की ढ़ाणी में मुझे गोद लिया लगभग सौ आदमी थे गोदनामा की लिखत विरमाराम ने हमारी बही में की थी जो अमल ईएक्स–पी1 है व उसकी फोटोप्रति ईएक्स–पी 1 ए है, यह लिखत गांव के सरपंच परबतसिंह के रूबरू लिखी व परबतसिंह ने हस्ताक्षर किये थे तथा भगवाना ने हिन्दू रीति रिवाज से मुझे साफा बंधवा कर मेरे को गोद लिया था तथा बही रावों में मुझे बेटे के रूप में नाम लिखाया व धार्मिक जागरण भी दिलाया, खेतो पर काश्त कब्जा मेरा है केशी ने मेरे हक में हल्फनामा लिखकर दिया जो ईएक्सपी–2 है, जमाबंदी ईएक्सपी–3 है, म्यूटेशन की नकल ईएक्सपी–4 है, हिरा मेरे साथ रहती है भगवाना जब फौत हुआ तब मैंने बेटे की हैसियत से संस्कार किया था केशी भगवाना की कानूनी औरत नहीं है लक्ष्मी ससुराल जाती है लक्ष्मी का कोई कब्जा नहीं है आगे जिरह में वादी ने बताया कि यह बात गलत है कि लिखत होने के ईएक्सपी–1 में ए से बी हिस्सा साख दिलवाई जो सरपंच से बाद में दिलवाई हो, यह सही है कि गौदनामा रजिस्टर्ड नहीं करा सका, यह गलत है कि भगवाना के दस्तखत फर्जी हो, मेरे जन्म देने वाले पिता का नाम हीराराम है, यह कहना गलत है कि ईएक्सपी–1 में एक्स स्थान पर निशान अंगुष्ठे हीरा व मेरे पिता का न हो जो फर्जी हो ईएक्सपी–1 में तमाम साखे झूठी व फर्जी दिलवाई हो इसी प्रकार गवाह गिरधारी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि भगवाना व प्रेमा सगे भाई है भगवाना फौत हो चुका है हीरा भगवाना की औरत थी हीरा के कोई औलाद नहीं थी केशी भगवाना की शादीसुदा औरत नहीं है। रावता को भगवाना ने जीतेजी गोद लिया था जिसके गोदनामें की लिखापढ़ी हुई थी जो चौपड़े में भी मैने साख डाली थी इसी प्रकार गवाह परबतसिंह ने सशपथ ब्यानों में बताया कि रावता को भगवाना ने गोद लिया तब में भगवाना के घर था उस वक्त मैं ग्राम पंचायत गुन्दाउ का सरंपच था ग्राम मीरपुरा मेरी पंचायत में ही है विरमाराम ने गोदनामा की लिखत की थी जिसकी असल ईएक्सपी–1 व साख पर 3 स्थान पर हस्ताक्षर मेरे है ईएक्सपी–1 ए पर भी मेरे हस्ताक्षर है लिखत पढ़कर विरमाराम ने सुनाई थी, इसकी मां को पुछकर आये तथा इसका बाप वही मौजूद था तथा 50–60 आदमी थे जागरण या गोदनामा की रस्म अदा की भगवाना के हिस्से पर रावता का कब्जा है लक्ष्मी उसके ससुराल रहती है। भगवाना की शादीशुदा औरत का नाम हीरा है केशी शादीसुदा नहीं थी नाता का कोई प्रथा नहीं है गवाह ने अपने जिरह में बताया कि मैं नहीं बता सकता की किस किस जातियों में नाता नहीं होता है ईएक्सी पी–1 पर व केशी का अंगुठा नहीं है मेरे रूबरू पूछा था उसकी सहमति थी यह कहना गलत है कि ए से बी भाग की साख मैंने बाद में डाली हो, यह कहना गलत है कि ईएक्सी पी–1 में रावता मेरे वोटो में पार्टी का हो और मैने लिखापढ़ी झूठी की हो, यह कहना गलत है कि कब्जा लक्ष्मी का हो, यह कहना गलत है कि रावता का कब्जा रावता की बापौती जमीन पर हो इसी प्रकार विडदीचंद ने भी सशपथ बयानों में बताया कि रावता को भगवाना ने गौद लिया था मैं जागरण में मौजूद था 60–70 आदमी थे लिखत विरमाराम ने ईएक्सी पी–1 की थी, लिखत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.09.09 18:36:55
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रैक) सांचौर

पढ़कर सुनाई थी हीरा व भगवाना गौद लेने देने वाले दोनों परिवार हाजिर थे. ईएक्सी पी–1 पर साख डाली थी एच से आई साख मेरी कलमी है उस पर मेरे हस्ताक्षर है खेत पर कब्जा रावता का है केशी शादीसुदा औरत नहीं थी लक्ष्मी भगवाना की नाजायज लडकी है उसका कोई कब्जा नहीं है उक्त गवाह ने जिरह में आगे बताया कि लिखत पर केशी व हीरा हाजिर नहीं थी और न ही उनका अंगुठा है।

प्रतिवादीगण की और से गवाह डीडब्ल्यू–1 हीरा, डीडब्ल्यू–2 लक्ष्मी, डीडब्ल्यू–3 पीराराम, डीडब्ल्यू–4 तगाराम, डीडब्ल्यू–5 राजुराम के बयान करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की और से बेचान दस्तावेज ईएक्सडी 1 ए पेश कर प्रदर्शित करवाये गया तथा गवाह डीडब्ल्यू–1 हीरा ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि भगवाना के हम 2 औरते केशी व मैं हुं केशी के साथ सहमति से नाता किया था भगवाना व मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ भगवाना को फौत हुए 10 वर्ष हुए है रावताराम को कभी गोद नहीं लिया गया मेरे पति ने गोद लेने की बात नहीं बताई ईएक्स पी 4 म्यूटेशन मेरे पति के फौत होने पर खोला गया है व सही है लिखत गोदनामा ईएक्स पी 1 की जानकारी मुझे नहीं है न ही मेरे पति ने बताई है और न ही मेरा अंगुठा लगवाया है उक्त गवाह ने आगे जिरह में बताया कि लिखत विरमाराम ने लिखी हो तो मुझे पता नहीं लिखत की तब सरपंच था या नहीं मुझे मालुम नहीं, भगवाना ने मुझे तलाक नहीं दी गई भगवाना फौत हुआ तब दाह संस्कार मैंने किया दूसरों को मैंने खोले नहीं लिया केशी अपने पीहर रहती है केशी ने कोई नाता नहीं किया है केशी ने गलत बेचान किया हो तो पता नहीं इसी प्रकार गवाह लक्ष्मी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि मेरे पिता का नाम भगवाना है इनके दो औरतें हीरा व केशी है मेरे कोई भाई नहीं है भगवाना के केवल मैं पुत्री हूं, मेरे पिता ने रावता को गौद नहीं लिया केशी ने अपने हिस्से की जमीन दिनांक 074.02.1994 को बेचान कर दी है। बेचान दस्तावेज की छायाप्रति ईएक्सडी 1 ए है उक्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है उक्त गवाह ने आगे जिरह में बताया कि केशी मेरी मां पीहर सेड़िया में रहती है। हीरा भगवाना की शादीसुदा औरत है। मेरी मां से नाता नहीं किया, यह सही है कि मेरी मां केशी शादीसुदा नहीं है नाते आई हुई है यह बात गलत है कि मैं भगवाना की अवैध संतान हुं। गवाह डीडब्ल्यू 3 पीराराम ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि भगवाना के दो औरतें थी। वादी हीरा पुत्र गंगा का लड़का है वादी को कभी भगवाना ने गोद नहीं लिया रावताराम का कब्जा काश्त नहीं है उक्त गवाह ने जिरह में बताया कि हीरा भगवाना की शादीसुदा औरत नहीं है, केशी सेड़िया पीहर में रहती है। रावता को 11 वर्ष पहले गौद लिया हो तो पता नहीं है विरमा ने गलत लिखत किया है। पागड़ी नहीं बंधायी व न गुड़ धाणा बांटा गया इसी प्रकार गवाह डीडब्ल्यू 4 तगाराम ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि भगवाना 7–8 वर्ष पहले फौत हो चुका है। भगवाना के पीछे उसकी औरत केशी व हीरा है। भगवाना ने रावता को गोद नहीं लिया है। मैने गोद लेने की बात नहीं सुनी है। रावता भगवाना की औरत हीरा के साथ नहीं रहता है। इस गवाह ने आगे जिरह में बताया कि भगवाना की पहली पत्नी हीरा है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.09.09 18:36:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

जिते जी केशी के साथ नाता किया नाता करने के बाद केशी के पुत्री पैदा हुई जिसका नाम लक्ष्मी है जो ससुराल जाती है। रावता गौद गया उसकी लिखापढी हुई उसका ध्यान नहीं है। भगवाना का विवाह केशी से हुआ तब मैं मौजूद था मैं 20 वर्ष सजा भुगत चुका हुं अभी 12 वर्ष से घर हूं इसी प्रकार गवाह राजुराम डीडब्ल्यू 5 ने उपस्थित होकर सशपथ बयान किया कि भगवाना मेरा रिश्तेदार है। इनके दो औरत केशी व हीरा है। रावताराम को हीरा व भगवाना ने गोद नहीं लिया है वादी ने झूठा वाद पेश किया है इस गवाह में आगे जिरह में बताया है कि केशी अपने भाईयों व ससुराल भी रहती है यह बात गलत है कि हीरा के साथ रावता रहता हो बेचान रजिस्ट्री की प्रतिफल की राशि अदा नहीं की गई थी गोदनामा नहीं करवाया गया है।

उपरोक्त गवाह व उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार उक्त वाद पूर्व में दिनांक 19.03.2002 को निर्णत होने के पश्चात प्रकरण की पत्रावली दिनांक 08.01.2007 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर से दोनों पक्षों की प्लीडिंग को देखते हुए तनकीयात कायम की जाकर तथा तनकीयात पर दोनों पक्षों की सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देकर तनकी वाईज विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में उभयपक्षकारान् को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रकरण में दोनों पक्षों की प्लीडिंग के अनुसार प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त कुल भूमि में से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादी 1/4 हिस्से की भूमि का एक्सकल्यूजीव कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)
2. आया मौजा मीरपुरा में स्थित खसरा संख्या 143 के नवीन खसरा संख्या 301, 302, 303, 343, 344, 345, 346 की वादी का 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का वादी अधिकारी है। (जिम्मे वादी)
3. आया वादी के 1/4 हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। (जिम्मे वादी)
4. आया वादी स्व. भगवाना का दतक पुत्र नहीं है तथा दतक पुत्र नहीं होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)
5. आया स्व. भगवाना ने वादी के हक में किसी प्रकार का विधिवत गौदनामा का दस्ता तकमील नहीं करवाया। (जिम्मे प्रतिवादी)
6. आया वादी के पास कोई दस्तावेज है तो वह कुटरचित दस्तावेज है। (जिम्मे प्रतिवादी)
7. आया वादग्रस्त आराजी पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। (जिम्मे प्रतिवादी)
8. आया प्रतिवादीया रेकोर्डेड खातेदार है व आराजी पर कब्जा काश्त है जिस पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करवाने की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी प्राप्त करने का हकदार है। (जिम्मे प्रतिवादी)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Pra
Date: 2025.09.09 18:36:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात उभयपक्षकारान् को शहादत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वादी की ओर से पूर्व में पेश साक्ष्य गवाहों को माना जाकर वादी की साक्ष्य बंद की गई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए तथा प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस अंतिम सुनी गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी भगवाना उर्फ मगना का गोदपुत्र है तथा भगवाना उर्फ मगना का देहान्त 1990 में हो चुका है तथा मृतक भगवाना उर्फ मगना ने प्रथम शादी संवत् 2012 में हीरा नाम की औरत से की थी तथा हीरा के कोई संतान नहीं होने से स्व. भगवाना ने हीरा को बिना तलाक दिये उसके जीवित रहते हुए दूसरी शादी संवत् 2028 में प्रतिवादी केशी के साथ की तथा केशी से 1 अवैध संतान लक्ष्मी प्रतिवादी संख्या 3 पैदा हुई इस प्रकार स्व. भगवाना के कोई जायन्दा पुत्र न होने से भगवाना ने अपने अंश वृक्ष को आगे बढ़ाने हेतु दिनांक 09.05.1990 को वादी रावताराम को गांव के प्रतिष्ठित लोगों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान कर तथा तत्कालीन सरपंच की मौजूदगी में गौद लिया तथा गौद लेने की सामाजिक हिन्दू रिति रिवाज माफिक पाग बंधवा कर गुड़ धाणें बांट कर सारी रश्में अदा कर वादी रावताराम को उसके माता पिता की पूर्ण सहमति से गोद लिया जिसका लिखत विरमाराम द्वारा एक बही में की गई।

मौजा मीरपुरा में वादी के पिता भगवाना उर्फ मगना व उसके भाई प्रेमाराम के नाम खातेदारी के खेत पुराना खसरा संख्या 143 रकबा 100 बीघा 09 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 301, 302, 303, 343, 344, 345, 346 जुमले रकबा 16.26 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें वादी के पिता स्व. भगवाना उर्फ मगना का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा उसके भाई प्रेमाराम का आया हुआ है, किन्तु वादी के पिता भगवाना की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी हीरा व प्रतिवादी केशी के नाम नामांतरकरण भर दिया गया तथा वादी रावता को उसकी खातेदारी से वंचित कर दिया गया जबकि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 केशी का कोई कानूनन हक नहीं बनता है चुंकि केशी भगवाना की शादीसुदा औरत नहीं है तथा हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रथम विवाहिता पत्नी ही उतराधिकारी होती है तथा स्व. भगवाना ने पत्नी हीरा के जीवित रहते हुए उसे बिना तलाक दिये दूसरा विवाह प्रतिवादी संख्या 2 केशी से किया गया जो दूसरा विवाह कानून सम्मत नहीं होने से वॉईड है व दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्री लक्ष्मी जो अवैध संतान होने से प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मी को उक्त आराजी में किसी प्रकार का उतराधिकार के हक प्राप्त नही होते है। ऐसी सुरत में वादी भगवाना का दतक पुत्र होने से उक्त आराजी में वादी रावताराम का 1/4 हिस्सा कानूनन होने से वादी उपरोक्त संपूर्ण आराजी में 1/4 हिस्सा की खातेदारी पाने का अधिकारी होने से 1/4 हिस्से की खातेदारी की डिक्री वादी के पक्ष में सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pram
Date: 2025.09.09 18:36
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की गोदनामा पंजीयन होना आवश्यक नहीं है चुंकि उक्त गौदनामा लिखे हुए करीब 35 वर्ष हो चुके है तथा विधि द्वारा पारित सिद्वान्तों के अनुसार यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि 30 वर्ष के पूर्व के दस्तावेज प्रमाणित हो जाने पर उसके रजिस्टर्ड होने पर उसकी सत्यता प्रिज्यूम की जायेगी। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता **वादी द्वारा आर.आर.डी 2009 पेज संख्या 252 धनसिंह बनाम गिलामी एण्ड अदर्स की नजीरात पेश** की उपरान्त विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादी के पक्ष में तकमील किया गया तथाकथित गौदनामा को आज दिन तक प्रतिवादीगण द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है अगर उक्त गौदनामा कुटरचित होता तो प्रतिवादीगण अवश्य ही वादी के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाते किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा आज दिन तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है इससे यह स्पष्ट है कि तथाकथित गोदनामा सही व सत्य है तथा किसी भी अंपजीकृत दस्तावेज के जरिये नामांतरकरण खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है अपंजीकृत दस्तावेज के जरिये खातेदारी हक वाद के जरिये ही प्राप्त किये जा सकते है इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादी ने **आर.आर.डी 2019 पेज संख्या 563 सालगराम बनाम घिसीबाई एण्ड अदर्स की नजीरात** पेश कर ध्यान आकर्षित करवाया। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि अगर परिवार के सदस्यों में आपसी सहमति से अगर कोई समझौता लिखा गया हो तो ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रैशन करवाना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा **आर.आर.टी 2018–19 {Supp} पेज संख्या 362 मोमनराम एण्ड अदर्स बनाम चरणजीत एण्ड अर्दश की नजीरात** पेश कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में वादी वादी के तमाम गवाह यहां तक की प्रतिवादी स्वयं द्वारा केशी भगवाना की विवाहिता पत्नी न होकर नाता करना व केशी से उत्पन्न एक मात्र संतान लक्ष्मी होना स्वीकार करते है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता **वादी ने आर.आर.डी 1992 पेज संख्या 561 मदनलाल बनाम कमलाबाई एण्ड अदर्स की नजीरात** पेश करते हुए निवेदन किया कि नाता वोईड विवाह है। इस प्रकार इस प्रकरण में प्रतिवादीगण स्वयं केशी का भगवाना के साथ नाता करना स्वीकार करते है ऐसी सुरत में जब केशी कानूनन भगवाना की धर्मपत्नी ही नहीं है तो उसे या उससे उत्पन्न होने वाली अवैध संतान का उक्त वादग्रस्त संपति से किसी प्रकार का अधिकार नहीं है व इसी प्रकार **आर.आर.डी 1990 के पेज संख्या 649 जलन्धरसिंह बनाम त्रिलोकसिंह की नजीरात** पेश कर निवेदन किया कि दूसरी शादी से उत्पन्न संतान जो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2025.09.09 18:36:55 I
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध नहीं किया है ऐसी सूरत में जब प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करें और वादी के वाद का प्रतिरोध नहीं करें तो ऐसे प्रकरण में डिक्री ही दी जावेगी इस संबंध में **डी.एन.जे (राजस्थान) 2000–2001 {Supp} चौकसी**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

एण्ड कंपनी बनाम मैं. बंशीराम करतारचंद की नजीरात पेश कर ध्यान आकर्षित करवाया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी का अवैध तौर से विधि विरूद्व तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 केशी द्वारा उक्त आराजी का बेचान दस्तावेज प्रेमाराम वगैरह के हक में तकमील करवा दिया जो ऐसा दस्तावेज नल एण्ड वॉईड है इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा **आर.आर.डी 1997 पेज संख्या 486 धर्मचन्द बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नजीरात** पेश करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में भी प्रतिवादीं केशी द्वारा अवैध तरीके से वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है जो ऐसा बेचान दस्तावेज वादी के लिए शून्य होने से उक्त बेचान दस्तावेज को अवैध व शून्य करार दिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अन्त में अपनी बहस में बताया कि वादी रावताराम भगवाना का गौदपुत्र होने से तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 केशी का कोई अधिकार नहीं होने से और न ही अवैध संतान लक्ष्मी का कोई अधिकार होने से अवैध बेचान दस्तावेज को अवैध व शून्य करार देते हुए उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से की खातेदारी की डिक्री व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमावें तथा वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर बंटवाड़ा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावें तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रेमाराम पुत्र चौथाराम व प्रतिवादी संख्या 5 सजनी धर्मपत्नी प्रेमाराम, जातियान–जाट, निवासीगण–मीरपुरा फौत होने से उनके कायम मुकाम व वारिसान् प्रतिवादी संख्या 4 (अ से ल) है।

उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन अनुसार तनकीयात वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> आया वादग्रस्त आराजी मे से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादी 1/4 हिस्से की भूमि का एक्सकुलजिव कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मेवादी)

उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से इस संबंध में वादी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वादग्रस्त आराजी पर सरकारी 100 बीघा के आध पर मेरा कब्जा है। लक्ष्मी प्रतिवादी ससुराल जाती है लक्ष्मी की मेरे खेत में कोई ढ़ाणी नहीं है केशी की ढ़ाणी नहीं है बेचान की गई जमीन पर खरीददार का कोई कब्जा नहीं [illegible] के गवाह गिरधारी ने भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर रावताराम [illegible] बयानों में बताया है। इस संबंध में वादी की ओर से शपथ [illegible] गया जिसमें भी प्रतिवादी केशी द्वारा उसका स्व. भगवाना के साथ दूसरा विवाह होना [illegible] वादी रावताराम को गौद लेना बताया गया है। उक्त शपथ पत्र में प्रतिवादी केशी द्वारा यह भी सशपथ बताया गया कि मेरे जेठ प्रेमाराम की नियत हमारी जमीन हड़पने की है तथा उसने मुझे यह कहकर की मेरी सौतन हीरा के और मेरे आपस में अनबन रहने से मेरी जमीन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

न्यारा पट्टा कराने का कहकर मेरे अंगुठे करीब 1 माह पहले कुछ कागजात पर करवाये थे उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मैंने जमीन किसी को नहीं बेची न ही जमीन का किसी को कब्जा दिया है व इस प्रकार प्रतिवादी लक्ष्मी द्वारा भी अपने सशपथ बयानों में यह स्वीकार किया है कि मेरी मां केशी शादीसुदा नहीं है नाते आयी हुई है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कोई कानूनन हक नहीं होने से वादी उक्त आराजी का 1/4 हिस्से की भूमि का एक्सक्लूजिव कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी साबित होने से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या 02 :–**</u> आया मौजा मीरपुरा में स्थित खसरा संख्या 143 के नवीन खसरा संख्या 301, 302, 303, 343, 344, 345, 346 में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का वादी अधिकारी है उक्त तनकी भी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से इस संबंध में वादी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान देकर गौदनामा प्रदर्श पी 1–ए शपथ पत्र प्रदर्श पी 2, जमाबंदी प्रदर्श पी 3, नामान्तरकरण प्रदर्श पी–4, परिवार राशन कार्ड प्रदर्श पी 5पेश कर प्रदर्शित करवाये गये तथा इस संबंध में वादी की और से वादी स्वयं तथा वादी के गवाह गिरधारी, विरमाराम, परबतसिंह व विडदीचन्द के बयान कलमबद्व करवाये गये जिसमें गवाह परबतसिंह जो तत्कालीन सरपंच ग्रांम पंचायत गुंदाउ ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि मीरपुरा मेरी पंचायत में ही है। वीरमाराम ने गौदनामा की लिखत की थी जिसकी असल लिखत ईएक्सी पी1 है व साख है व बी स्थान पर हस्ताक्षर मेरे है, तथा हीरा के घर गोदनामा की रस्म अदा की तथा भगवाना के हिस्से पर रावता का कब्जा है लक्ष्मी ससुराल रहती है। केशी भगवाना की शादीसुदा औरत नहीं है तथा लक्ष्मी केशी की पुत्री है। इस प्रकार वादी व वादी के समस्त गवाहन् द्वारा रावताराम को भगवाना के गौद होना व भगवाना का गौदपुत्र होना बताया गया है तथा प्रतिवादी केशी को भगवाना की शादीसुदा औरत होना नहीं बताया है तथा भगवाना द्वारा कैसी से दूसरा विवाह होना व केशी से एक पुत्री लक्ष्मी होना बताया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण में यह बखूबी साबित है कि भगवाना ने वादी रावताराम को गोद लिया गया है तथा रावता भगवाना का गौदपुत्र होना साबित है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक पत्नी के जिते जी उससे विधिवत तलाक लिये बिना ही दूसरी शादी कानून सम्मत नहीं है तथा दूसरी शादी से उत्पन्न संतान लक्ष्मी है तथा आदेशिका दिनांक 02.02.2002 अनुसार प्रतिवादीया लक्ष्मी नाऔलाद फौत हुई है तथा वादी राव[illegible] का उतराधिकारी होना बताया है जबकि लक्ष्मी का कोई अन्य उत्तराधिकारी है ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य आज दिन तक रेकर्ड पर नही आया है ऐसी सुरत में केशी प्रतिवादी जो भग[illegible] की शादीसुदा औरत नहीं है तथा प्रतिवादी लक्ष्मी जो केशी की यानि भगवाना की दूसरी [illegible] की अवैध संतान होना बखूबी साबित होने से उनके द्वारा किया गया ऐसा बैचान दस्तावेज वादी के लिए शूरू से अवैध व शून्य है तथा वादी रावताराम मृतवफी भगवाना उर्फ मगना का गौदपुत्र होना बखूबी साबित होने से तथा भगवाना उर्फ मगना के दो उतराधिकारी वादी रावताराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 हीरा होने से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी 1/4 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2025.09.09 18:36:55 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

की भूमि खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03</u> :– आया वादी के 1/4 हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से तथा तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का पूर्ण रूप से हकदार है चुंकि उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ईएक्स पी 3 अनुसर प्रेमा मंगना पिसरान चौथा के नाम होने से तथा मगना उर्फ भगवाना का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज होने से व मगना उर्फ भगवाना की मृत्यु के पश्चात वादी रावताराम मृतक भगवाना उर्फ मगना का गौदपुत्र होने से तथा मृतक भगवाना उर्फ मगना के जायज उत्तराधिकारी वादी रावताराम व उसकी प्रथम विवाहित पत्नी हीरा बैवा भगवाना उर्फ मगना होने से उक्त आराजी में वादी रावताराम का 1/4 हिस्सा उतराधिकारी हक से साबित होने से वादी 1/4 हिस्से की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का कानूनन अधिकारी है अतः तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04</u> :– आया वादी स्व. भगवाना का दतक पुत्र नहीं है तथा दतक पुत्र नहीं होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण का होने से इस संबंध में वादी द्वारा उक्त पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय से रिमाण्ड होने के पश्चात उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की और से किसी प्रकार का उक्त वाद का प्रतिरोध नहीं किया गया है न ही पूर्व में वादी रावताराम के पक्ष में लिखे गये गौदनामा को प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी होना साबित नहीं किया है उपरान्त प्रतिवादी केशी द्वारा वादी रावताराम को भगवाना उर्फ मगना के गौद लेना तथा उनके द्वारा प्रेमाराम को जमीन नहीं बेचना बताया गया है तथा इस संबंध में शपथ पत्र भी दिया गया है। इस प्रकार विधि द्वारा पारित सिद्वान्तों के अनुसार जहां किसी वाद का जब प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नहीं करे और मामला का प्रतिरोध नहीं करें तो ऐसे मामलों में डिक्री ही दी जावेगी जो वादी वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर से बखूबी स्पष्ट है हस्तगत प्रकरण में भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है [illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत से वादी भगवाना का दतक पुत्र होना साबित होने से [illegible] संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 5</u> :– आया स्व. भगवाना ने वादी के हक में किसी प्रकार का विधिवत गौदनामा का दस्तावेज तकमील नहीं करवाया। (जिम्मे प्रतिवादी) उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में हुए अपने बयानों में यह अवश्य बताया गया कि विधिवत गोदनामा दस्तावेज तकमील नहीं करवाया गया है तथा पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह बताया कि वादी के पक्ष में कोई गोदनामा दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramo
Date: 2025.09.09 18:36:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

पंजीयन नही करवाया है तथा वादी द्वारा पेश तथाकथित गोदनामा फर्जी व कूटरचित है किन्तु विधि द्वारा पारित सिद्धान्तों के अनुसार 30 वर्ष के पूर्व के दस्तावेज प्रमाणित हो जाने पर उसके रजिस्टर्ड होने पर उसकी सत्यता प्रिज्यूम की जायेगी जब तक की उसका सीधे साक्ष्यों द्वारा खण्डन न हो प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज ईएक्स पी 1 ए का फर्जी होना किसी न्यायालय ने प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष उस दस्तावेज के फर्जी होने का कोई प्रमाण पेश किया है, ऐसी सूरत में उक्त तथाकथित गोदनामा जो दिनांक 09.05.1990 को लिखा गया है तथा जिसे करीब 35 वर्ष की अवधि हो चुकी हो इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी न्यायालय में फर्जी होना प्रमाणित नहीं किया गया है न ही इस न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेज के फर्जी होने का कोई प्रमाण पेश किया है इस प्रकार वादी वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर से बखूबी स्पष्ट है कि 30 वर्ष पुराना अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पढ़ा जायेगा ऐसी सुरत में वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पेश तथाकथित गौदनामा प्रदर्श पी 1 ए को संदेह पूर्वक नहीं देखा जा सकता है इसी सूरत में तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 :– आया वादी के पास कोई दस्तावेज है तो कुटरचित दस्तावेज है। (जिम्मे प्रतिवादीगण) उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पेश तथाकथित गोदनामा दस्तावेज फर्जी व कूटरचित हो इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। ऐसी सूरत में उक्त दस्तावेज को कूटरचित दस्तावेज नहीं माना जा सकता है चुंकी अगर वादी द्वारा तथाकथित गोदनामा कूटरचित तैयार किया गया होता तो प्रतिवादीगण वादी के विरूद्व उक्त तथाकथित गौदनामा के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के संबंध में किसी न्यायालय में फौजदारी कार्यवाही करते, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा तथाकथित गौदनामा के संबंध में फर्जी व कूटरचित होने बाबत् किसी प्रकार की कार्यवाही करने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है अतः तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 07 :– आया वादग्रस्त आराजी पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। (जिम्मे प्रतिवादीगण) उक्त तनकी संख्या 7 का निर्णय तनकी संख्या 1 में दिया जा चुका है तथा प्रतिवादी लक्ष्मी जो भगवाना की संतान है तथा लक्ष्मी फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी केशी जो भगवाना उर्फ मगना की दूसरी औरत होने से कानूनन वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की हकदार नहीं है ऐसी सूरत में वादी उक्त आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि का विधिवत कानूनन हकदार होने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत से 1/4 हिस्से की भूमि पर वादी काश्त कब्जा होना साबित होने से तनकी संख्या 07 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pram
Date: 2025.09.09 18:36:
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

तनकी संख्या 08 :– आया प्रतिवादीगण रेकोर्डेड खातेदार है व आराजी पर उनका कब्जा काश्त है जिसमें प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करें व अन्य किसी से करावें की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण प्राप्त करने के हकदार है। इस तनकी का निर्णय उपरोक्त तनकीयों में निर्णित किया जा चुका है इस प्रकार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर 1/4 हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में पूर्णतया असफल होने से प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन में वादी तनकी संख्या 1 लगायत 3 अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4 लगायत 8 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः मौजा मीरपुरा के खेत खसरा संख्या पुराना 143 से नवसृजित खेत खसरा संख्या 301, 302, 303, 343, 344, 345, 346 जुमले रकबा 16.26 हैक्टेयर भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी वादी रावताराम दतक पुत्र भगवाना उर्फ मगना, जाति–जाट, निवासी–मीरपुरा के नाम घोषित की जाती है तथा उपरोक्तानुसार वादी रावताराम का नाम राजस्व रेकर्ड में करने हेतु तहरीर तहसीलदार सांचौर के नाम जारी हो तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 अ, ब, स, द, य, र, ल के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/4 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में न तो स्वयं दखलंदाजी करें व न ही अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **23.06.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested